विनि. प्ररूप-15

आश्रित प्रसुविधा के लिए दावा प्ररूप
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(विनियम 80)

मृतक बीमाकृत व्यक्ति का नाम आशीष कुमार यादव बीमा संख्या 2112735345

पुत्र/पत्नी/पुत्री प्रहलाद मृत्यु की तारीख 14.5.2025

मैसर्स 20/0729 शिशाल्स प्रा०लि० द्वारा लाइनमैन के रूप में अंतिम बार नियोजित।

मैं/हम जो उपर्युक्त मृत बीमाकृत व्यक्ति का/के आश्रित हूं/है, उसकी मृत्यु की बाबत आश्रित प्रसुविधा के लिए दावा करता हूं/करते हैं।

आश्रित का नाम	लिंग	आयु या जन्म का वर्ष	वैवाहिक प्रास्थिति	मृतक के साथ नातेदारी	वर्तमान पता	अवयस्क की दशा में संरक्षक का नाम
1	2	3	4	5	6	7
प्रहलाद	पु०	1955	विवाहित	पिता	बदकार पो० नीबी कला झूंसी प्रयागराज	

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त वर्णित मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त वर्णित विवरण मेरी/हमारी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त वर्णित आश्रितजनों को छोड़कर उपर्युक्त मृत बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर आश्रितजन हितलाभ का दावा करने के लिए कोई अन्य आश्रितजन नहीं है।

हस्ताक्षर*
1. प्रहलाद
2.
3.
4.

*अनुप्रमाणन***

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर की गई घोषणाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

अनुप्रमाणन प्राधिकारी का नाम साफ अक्षरों में और रबड़ की मोहर या मुद्रा

हस्ताक्षर........ प्रधान ग्राम पंचायत बदकार

पदनाम........ प्रधान कमला दिनांक........ वि० ख० बहादुरपुर, प्रयागराज

* सभी व्यस्क आश्रितजनों को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने चाहिए और अवयस्क आश्रितजन के मामले में संरक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

** यह प्रमाण-पत्र (1) सरकार के राजस्व, न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी अधिकारी या (2) नगर पालिका आयुक्त; या (3) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त; या (4) ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत की शासकीय मुद्रा लगा करके या (5) विधायक /सांसद या (6) राजपत्रित अधिकारी या (7) क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय समिति/स्थानीय समिति के सदस्य या (8) संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण : कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहरायेगा अर्थात 2000/- रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।